भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2399

16.12.2024 को उत्तर देने के लिए

बेरोजगारी के आंकड़ों में विसंगतियां

2399. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) में दिए गए बेरोजगारी संबंधी आंकड़ों और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध अन्य आंकड़ों के बीच विसंगतियों की पहचान की है;
(ख) यदि हां, तो इन विसंगतियों के क्या कारण हैं जिनमें आंकड़ों के संग्रहण हेतु उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली, नमूना ढांचे अथवा परिभाषाओं में अंतर शामिल हैं;
(ग) क्या सरकार इन विसंगतियों को दूर करने और बेरोजगारी संबंधी आंकड़ों की विश्वसनीयता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है; और
(घ) बेरोजगारी संबंधी आंकड़ों की रिपोर्टिंग के संबंध में समय-सीमा, निरंतरता और व्यापकता में सुधार लाने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति से संबंधित विभिन्न संकेतकों का अनुमान करने के लिए वर्ष 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आयोजित कर रहा है। पीएलएफएस श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), बेरोजगारी दर (यूआर), आदि जैसे प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान देता है। पीएलएफएस का इस्तेमाल विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा भारत में रोजगार सांख्यिकी के आधिकारिक डेटा स्रोत के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आईएलओ भी अपने आईएलओस्टेट डाटाबेस पर भारत के संबंध में रोजगार सांख्यिकी का स्रोत पीएलएफएस को मानता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीएलएफएस से सटीक और विश्वसनीय रोजगार आंकड़े सामने आएं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मजबूत और सुपरिभाषित तंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिनमें बदलती जरूरतों, फीडबैक और कार्यप्रणाली में प्रगति के आधार पर समय-समय पर सुधार किया जाता है, ताकि उनकी प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके। डेटा संग्रह के चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) या इन-बिल्ट वैधीकरण तंत्र के साथ वेब-आधारित एप्लिकेशन का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म में

प्राथमिक डेटा संग्रह किया जा रहा है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म एक साथ डेटा प्रोसेसिंग सुनिश्चित करता है और इसके परिणामस्वरूप पीएलएफएस की रिपोर्ट जारी करने में लगने वाले समय में भारी कमी आई है। त्रैमासिक बुलेटिन फील्ड कार्य पूरा होने के 45 दिनों के अंदर जारी किए जा रहे हैं और वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2023-24 फील्ड कार्य पूरा होने के 90 दिनों के अंदर जारी की गई है। संकलात्मक प्रश्नों को संबोधित करने और डेटा गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रशिक्षण तंत्र का पालन किया जाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही पर जोर देता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, पीएलएफएस का संपूर्ण माइक्रोडेटा, जिस पर पीएलएफएस सर्वेक्षण के निष्कर्ष आधारित हैं, पीएलएफएस के वार्षिक प्रसार के साथ-साथ प्रकाशित किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपयोगकर्ता अपने स्तर पर भी पीएलएफएस के निष्कर्षों को सत्यापित कर सकते हैं । पीएलएफएस के सर्वेक्षण उपकरण भी सार्वजनिक डोमेन में रखे गए हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि डेटा के उपयोगकर्ता पीएलएफएस में प्रयुक्त सर्वेक्षण पद्धति को व्यापक रूप से समझे सकें तथा सर्वेक्षण निष्कर्षों की उचित व्याख्या कर सकें। पीएलएफएस की सर्वेक्षण पद्धति राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) की देखरेख में विकसित की गई है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष भी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की देखरेख में ही प्रकाशित किए जाते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षणों में अवधारणाएं और परिभाषाएं विभिन्न मानकों के अनुरूप तैयार की जाती हैं। इसके अतिरिक्त,सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश के संदर्भ में उनकी प्रयोज्यता और प्रासंगिकता का आकलन करने के लिए , श्रम सांख्यिकी पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है।
